पत्रांक–राज० / हि०प०–36 / 2025 / ...147..... / रा०

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

ओम प्रकाश साह
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सम्बद्ध उपायुक्त / आयुक्त के सचिव / प्रभारी प्रमण्डलीय उपनिदेशक, राजभाषा।

रांची, दिनांक 06 अक्टूबर, 2025

विषय : राजपत्रित / अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा नियमावली के आलोक में आवेदन प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का संदर्भ लिया जाय। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के हिंन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा नियमावली 39, दिनांक 06.07.2001 के कंडिका – 3 में स्पष्ट किया गया है कि जिन सरकारी सेवकों को अपने कर्त्तव्य संपादन के दौरान टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट आदि शामिल है, उस पद पर नियुक्ति से 01 वर्ष के भीतर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. सहायक शिक्षकों को अपने कर्त्तव्य संपादन के क्रम में टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना या किसी प्रकार का रिपोर्ट आदि नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण इस परीक्षा से विमुक्त रखा गया है।

3. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के पत्रांक 1834 / रा०, दिनांक 13.11.1987 के अनुसार प्राथमिक / मध्य / माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों / सहायक शिक्षकों को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका पालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा भी किया जा रहा है।

4. विभागीय पत्रांक 130, दिनांक 26.08.2025 के आलोक में दिनांक 12.09.2025 को राजपत्रित / अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा के आयोजन की कंडिका –10 में निम्नवत् संसोधन किया गया है। दिनांक 09.10.2025 के स्थान पर दिनांक 10.10.2025 को सादी उत्तरपुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद प्रश्नपत्र पैकेट की आपूर्ति की जायेगी।

अनुलग्नक :– पत्रांक 1834 / रा०,
दिनांक 13.11.1987

विश्वासभाजन

06/X/25.

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के विशेष सचिव।

संख्या 1834/रा०

बिहार सरकार

राजभाषा विभाग

प्रेषक

डॉ० भगवती शरण मिश्र,
निदेशक।

सेवा में

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष

सरकार के सभी विभाग

अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना

सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिलाधिकारी

सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक, राजभाषा;

पटना, 15 दिनांक 13 नवम्बर 1987

विषय:-राज्य के सभी प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/सहायक शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा की अनिवार्यता

महोदय

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 के अधीन विहित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उन सरकारी सेवकों को उत्तीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिन्हें अपने कार्य-संपादन में हिन्दी में टिप्पणी लिखने; प्रारूप या प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है।

राजभाषा विभाग ने प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/सहायक शिक्षकों के कर्त्तव्यों पर विचार कर यह निर्णय लिया है कि चूँकि इन्हें कार्य संपादन में हिन्दी में टिप्पणी लिखने, प्रारूप या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। किन्तु उनकी प्रोन्नति प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद पर होने पर यदि उनके लिए टिप्पणी लिखने प्रारूप या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, तो उनके लिए उस स्थिति में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो जाएगा।

विश्वासभाजन,
भगवती शरण मिश्र,
निदेशक।

ज्ञाप संख्या 1834/रा०

पटना, दिनांक 13 नवम्बर, 1987

प्रति श्री यदुनन्दन प्रसाद सिंह, महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पटना को सूचनार्थ दी जाती है।

भगवती शरण मिश्र,
निदेशक।